(घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी० एस० आई० आर०) से मान्यता प्राप्त आंतरिक अनुसंधान तथा विकास एककों द्वारा अनुसंधान तथा विकास पर किये गए खर्च की अनुमानित राशि इस प्रकार थी :-

वर्ष	व्यय
1991-92	1000 करोड़ रुपये
1992-93	1100 करोड़ रुपये

सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के हिस्से का अनुपात 45 : 55 है।

(ङ) और (च) भारत में अनुसंधान तथा विकास पर व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग एक प्रतिशत है और इसकी तुलना विकासशील देशों द्वारा किये गए व्यय से की जा सकती है। भारत में अनुसंधान तथा विकास पर किया गया व्यय विकसित देशों की तुलना में कम है। सरकार ने उद्योग में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए और अनुसंधान तथा विकास में निवेश को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये हैं। मान्यता प्राप्त अनुसंधान तथा विकास एककों को वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन और सहायता से संबंधित उपाय इस प्रकार हैं :-

(1) कम्पनी के लाभ से 100 प्रतिशत अनुसंधान तथा विकास व्यय घटा कर आय-कर में राहत;

(2) स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित सामान के निर्माण के लिये लगाये गये संयंत्र तथा मशीनों के लिए सामान्य 25 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत की उच्च दर पर बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास भत्ता,

(3) स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर उत्पादित बल्क औषधियों के लिए मूल्य नियंत्रण से छूट,

(4) उद्यम/संस्थागत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास सहयोग,

(5) विशिष्ट अंतर-गृह अनुसंधान तथा विकास उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, और

(6) अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में प्रायोजित अनुसंधान के लिए 125 प्रतिशत की दर से भारित कर कटौती।

लघु उद्योगों के लिए सीमित क्षेत्रों में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों का प्रवेश

1432. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1994 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "फारेन कम्पनीज एन्ट्रींग रिस्ट्रिक्टिड सेक्टर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कई विदेशी संस्थाएं देश के विद्यमान कानून में खामियों का लाभ उठा कर बड़े उद्योगों के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्रों में उत्पादन-कार्य आरंभ करके देश के लघु उद्योगों के लिए संकट पैदा करना चाहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार कानून में विद्यमान खामियों को दूर करने हेतु तत्काल कार्यवाही करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) जी हां। 12 फरवरी, 1994 के "फाइनेंशल एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आया है। परन्तु, लघु क्षेत्र में निर्माण के लिए उत्पादों के आरक्षण की नीति 24 जुलाई, 1991 को घोषित सरकार की नयी औद्योगिक नीति के अधीन जारी रखी गई है।

मदों का आरक्षण/अनारक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन गठित आरक्षण संबंधी सलाहकार समिति द्वारा इस पर विचार किया जाता है। जब कोई मद केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित कर दी जाती है। तो बहुराष्ट्रीय उपक्रमों सहित किसी मझौले/बड़े उपक्रम को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती, जब तक कि उसमें 75 प्रतिशत निर्यात बाध्यता न हो (निर्यातोन्मुख सिले-सिलाये वस्त्र इकाईयों के मामले में 3 करोड़ रु० की पूंजी निवेश सीमा के साथ यह 5 प्रतिशत है)।

विद्यमान उपबन्ध लघु उद्योग क्षेत्र के हितों के संरक्षण के लिए हैं।

Lowering down the propossed capacity icrease of BHEL

1433. SHRI GURUDAS DAS GUPTA : SHRI GAYA SINGH :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the capacity increase planned for the BHEL during the Eigth Five Year Plan was scaled down from 38,000 MW to 30,000 MW; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Proposal to hold 49 per cent stake in SSIs by large units

1434. SHRI N. GIRI PRASAD : SHRI GAYA SINGH :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to allow large units to hold upto 49 per cent stake in small scale industries ; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

Orders placed by Coal India Limited with HEC

1435. SHRI GAYA SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Heavy Engineering Corporation, Ranchi is not getting orders, for Shovels and other equipments the rough Coal India Limited now ;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what are the actual figures of demand order placed by the Coal India Limited to Heavy Engineering Corporation regarding supply of equipments during 1989-90 and 1990-91 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) Orders from Coal India Limited (CIL) on Heavy Engineering Corporation Limited (HEC), Ranchi have reduced considerably during the last three years.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The orders for equipment placed by CIL to HEC during 1989-90 and 1990-91 are given below:

Sl. No.	Eqpt.	Qty.	Value Rs. crores in	Remarks
	1989-90			
1	5 Cu. M. Shovel	12	19.15	All delivered.
2	OB Drill 250 mm	8	5.69	All delivered.
	1990-91			
1	5 Cu. M	43	86.90	Balance 8 Nos. ready Material not being lifted.
2	OB Drill	13	10.35	Balance 4 nos. ready. Material not being lifted.